उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-202/2019/3033/92-2-2019-93(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 31 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0 67104 सम्पर्क मार्ग रामगढ़ से कुराकला का निर्माण कार्य डी0पी0आर0 के प्राविधान से हटकर कराये जाने तथा परिवर्तित एलाइमेंट के मार्ग के निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं प्राप्त करने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-897/2018/92-2-2018-93(जॉच)/2017, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री गौरी शंकर राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-160/एस0टी0/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-सोनभद्र/2017-18, दिनांक 22.05.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-86/2018/1757/92-2-2018-93(जॉच)/2017, दिनांक 11.07.2018 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2018 को जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1 को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष एलाईमेन्ट से हटकर कार्य कराये जाने की औपचारिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नही प्राप्त करने हेतु आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 27.12.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री गौरी शंकर राय का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 13.11.2019 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप में अपचारी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/शासकीय क्षति कारित नहीं की गयी है। अपचारी अधिकारी श्री गौरी शंकर राय जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है के विरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप संख्या-1 के संबंध में उन्हें उक्त अनियमितता हेतु प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर भी नहीं रह गया है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-897/2018/92-2-2018-93(जॉच)/2017, दिनांक 26.04.2018 द्वारा श्री गौरी शंकर राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही मे उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-202/2019/3033(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- श्री गौरी शंकर राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।